



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6414-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 5031/2024

अनस

....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : राकेश कुमार वर्मा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जीए, इरशाद अहमद

न्यायालय संख्या - 46

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-।

(आपराधिक प्रकीर्ण सुधार आवेदन संख्या 04/2026 पर आदेश)

यह दिनांक 16.12.2025 के आदेश के सुधार के लिए सुधार आवेदन है।

पैराग्राफ के स्थान पर "उपरोक्त अपराध में दोषी ठहराए गए और सजा पाए आवेदक-अपीलकर्ता को संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बन्धपत्र और दो समान राशि के दो जमानत" प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए" दिनांक 16.12.2025 के आदेश के 7वें पैराग्राफ में उल्लिखित "आवेदक-अपीलकर्ता, अनस, को मामला अपराध संख्या 446/2018 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 231/2019 राज्य बनाम मो. वाहिद में दोषी ठहराया और सजा सुनाई गई और धारा- 302/34, 120-बी आईपीसी के तहत पुलिस स्टेशन- मैनाथेर, जिला- मुरादाबाद को संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत मुचलका और दो-दो जमानत देने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त आदेश को इस सीमा तक ठीक किया जाता है।

इस आदेश को दिनांक 16.12.2025 के आदेश के हिस्से के रूप में माना जाएगा।

आवेदन की अनुमति है।

जनवरी 8, 2026

रोहित

(न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-1) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।